



प्रेस नोट 01- दिनांक 29.03.2024 थाना अजगैन, जनपद उन्नाव ।

● 04 तमंचा व 06 कारतूसों के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा चार अभियुक्तों को 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय 06 अदद जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 28/29.03.2024 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक थाना अजगैन श्री अवनीश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र नाथ मिश्रा मय हमराह फोर्स व एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री शरद कुमार मय एसओजी टीम व सर्विलांस सेल द्वारा चमरौली आश्रम मंदिर के पास से अभियुक्तगण 1- शिव सरोज सिंह पुत्र शिवाधार सिंह निवासी शाहनगर थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र 35 वर्ष ,2- अभिमन्यु यादव पुत्र रामकरन यादव निवासी लछछी खेडा थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष ,3- मुकेश पुत्र रामेश्वर निवासी रामपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 32 वर्ष,4- दिनेश पुत्र श्रीपाल निवासी रामपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष को कुल 04 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 06 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 अदद मोबाइल बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अजगैन पर मु0अ0सं0 88/24 धारा 3/25 A Act पंजीकृत कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है ।

अभियुक्तगण का नाम पता-

1. शिव सरोज सिंह पुत्र शिवाधार सिंह निवासी शाहनगर थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र 35 वर्ष ।
2. अभिमन्यु यादव पुत्र रामकरन यादव निवासी लछछी खेडा थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष ।
3. मुकेश पुत्र रामेश्वर निवासी रामपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 32 वर्ष ।
4. दिनेश पुत्र श्रीपाल निवासी रामपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण – 04 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 06 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 अदद मोबाइल

आपराधिक इतिहास-

अभि० अभिमन्यु यादव पुत्र रामकरन यादव निवासी लछछी खेडा थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष –

1.मु०अ०सं० 292/17 धारा 323/392/504/506 भादवि व 3(1)घ SC/ST ACT थाना आसीवन जनपद उन्नाव ।

अभि० मुकेश पुत्र रामेश्वर निवासी रामपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 32 वर्ष –

1.मु०अ०सं० 439/17 धारा 60 आबकारी अधि० थाना सफीपुर जनपद उन्नाव ।

अभि० दिनेश पुत्र श्रीपाल निवासी रामपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष –

1.मु०अ०सं० 572/09 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना सफीपुर जनपद उन्नाव ।

2.मु०अ०सं० 572/11 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना सफीपुर जनपद उन्नाव ।

3.मु०अ०सं० 802/08 धारा 60 आबकारी अधि० थाना सफीपुर जनपद उन्नाव ।

थाना अजगैण पुलिस बल:-

उ०नि० श्री धर्मेन्द्र नाथ मिश्र

का० अर्पित कुमार

का० कमलेश यादव

का० गोविन्द सिरोही

का० बलराम गोस्वामी

एसओजी टीम उन्नाव-

1.निरी० श्री शरद कुमार प्रभारी एसओजी टीम

2.हे०का० सुनील कुमार

3.हे०का० आशीष मिश्र

4.हे०का० सत्येन्द्र कुमार

5.का० रवि कुमार

6.का० गौरव कुमार

7.का० विकास भदौरिसाय

8.हे०का० राधेश्याम (सर्विलांस सेल)





प्रेस नोट 02- दिनांक 29.03.2024 थाना मौरावां-जनपद उन्नाव ।

एक अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 28.03.2024 को उ0नि0 श्री अबू मो0 कासिम मय हमराह पुलिस फोर्स के द्वारा अभियुक्त बबलू राजपूत पुत्र बुद्धी लाल नि0 ग्राम पटेहर मजरा जम्बूरपुर थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष के कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर तथा 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर जम्बूरपुर तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मौरावां पर मु0अ0सं0 143/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बबलू राजपूत पुत्र बुद्धी लाल नि0 पटेहर मजरा जम्बूरपुर थाना मौरावां उन्नाव उम्र 20 वर्ष थाना मौरावां जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण-

एक अवैध तमंचा 12 बोर तथा 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 अबू मो0 कासिम
2. हेड कां0 अशोक कुमार
3. कां0 चन्द्रभूषण मिश्रा

